

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आप.प्रक.क्रमांक 527 / 2012
संस्थित दिनांक 02.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना
अंजड, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

—**अभियोगी**

वि रु द्ध

बागसिंह पिता मानसिंह दरबार,
उम्र 52 वर्ष, निवासी छोटा बड़दा
रोड़ अंजड, थाना अंजड

— **अभियुक्त**

परिवादी तर्फ एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी

अभियुक्त तर्फ अभिभाषक — श्री सेजय गुप्ता

—: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 28-02-2017 को घोषित)

01— पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 287/2012 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 13.10.2012 को 23:20 बजे आर्मी ढाबा, छोटा बड़दा रोड अंजड में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 बीयर किंग फिशर, 10 बीयर 5000 हैवडर्स, 10 क्वाटर आई.बी., 10 क्वाटर व्हाइट चीफ, 10 क्वाटर बाम्बे व्हिस्की रखने के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 36 के अंतर्गत अभियोग है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2012 को थाना अंजड पर प्रधान आरक्षक श्यामलाल यादव कस्बा भ्रमण के दौरान हमराह फोर्स के होटल, लॉज, ढाबा चेक करते हुए आर्मी ढाबा छोटा बड़दा रोड अंजड गया तो उक्त ढाबे में आरोपी बागसिंह अवैध रूप से शराब बेच रहा था जिसका उसके पास कोई लायसेंस नहीं था। आरोपी का उक्त कार्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 36 के अपराध में पंच साक्षी इकबाईल एवं शरदसिंह के सामने आरोपी से काउंटर पर रखी 10 बीयर किंग फिशर, 10 बीयर 5000 हैवडर्स, 10 क्वाटर आई.बी., 10 क्वाटर व्हाइट चीफ, 10 क्वाटर बाम्बे व्हिस्की विधिवत जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी को शराब सहित थाने पर लाये तथा उक्त अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी 4 का दर्ज कर साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, आरोपी के पास से जप्त शराब की जाँच कराई गई तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय श्री मसूद एहमद खान द्वारा अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 36 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार करने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.10.2012 को रात्रि 11:20 बजे आर्मी ढाबा, छोटा बड़दा रोड अंजड़ में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के 10 बीयर किंग फिशर, 10 बीयर 5000 हैवर्ड्स, 10 क्वाटर आई.बी., 10 क्वाटर व्हाइट चीफ, 10 क्वाटर बाम्बे व्हिस्की रखकर उक्त मदिरा का अवैध रूप से विक्रय किया ?

- विचारणीय प्रश्न पर (i) सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में श्यामलाल यादव (अ.सा.3) का कथन है कि दि. 13.10.12 को वह थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह हमराह फोर्स को साथ लेकर होटल, लॉज एवं ढाबा चेक करने के लिये गया था। ग्राम छोटा बड़दा रोड पर आर्मी ढाबा की जाँच की तो वहां आरोपी बागसिंह पिता मानसिंह ढाबे पर अवैध रूप से शराब बेच रहा था। उसके पास शराब बेचने के लिये कोई दस्तावेज नहीं था। उसने मौके पर आरोपी को साक्षी शरदसिंह एवं इकबाल के समक्ष उक्त शराब प्रदर्श पी 1 के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त शराब आर्टिकल-ए की है। उसने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा आरोपी और शराब को साथ लेकर अंजड़ थाने पर जाकर अपराध क्र. 287/12 आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया जो प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी शरदसिंह एवं इकबाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने जप्त शराब को जाँच के लिये आबकारी वृत्त अंजड़ भिजवाया था और वह जप्ती चिट तथा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जो उसने अभियोग पत्र में पेश किया था।

07— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाने से जब कोई पुलिस कर्मी कार्यवाही के लिये जाता है तो उसकी रवानगी और वापसी दोनों रोजनामचे में दर्ज की जाती है और उसने रवानगी वापसी का कोई रिकार्ड प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रात्रि के समय छोटा बड़दा रोड पर वाहनों की आवाजाही कम होती है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आर्मी ढाबा किसका है इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज जप्त नहीं किये हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके साथ जो पुलिस कर्मी गये थे उसने उनके कथन लेखबद्ध नहीं किये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उक्त दोनों साक्षियों ने उसके कहने से कोरे

कागजों पर हस्ताक्षर किये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

08— शरदसिंह (अ.सा.1) तथा इकबाल (अ.सा.2) का कथन है कि वे आरोपी से उक्त शराब जप्त करने के साक्षी है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने आरोपी को पहचानने या उनके सामने कोई शराब आरोपी के आधिपत्य से जप्त करने से इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक श्यामलाल यादव ने उनके समक्ष आरोपी के आधिपत्य से आर्मी ढाबे से 10 बीयर किंग फिशर, 10 बीयर 5000 हैवर्ड्स, 10 क्वाटर आई.बी., 10 क्वाटर व्हाइट चीफ, 10 क्वाटर बाम्बे व्हिस्की जप्त की थी अथवा आरोपी को गिरफ्तार किया था। साक्षियों ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने उक्त हस्ताक्षर थाने पर किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जब हस्ताक्षर किये तब उक्त पंचनामों कोरे थे।

09— नफीस एहमद खान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 13.10.12 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्र. 287/12 में जप्त शराब परीक्षण हेतु प्राप्त होने पर उसमें लगी जप्त चीट एक लिफाफे में सीलबंद कर उसने जप्त शराब को पृथक-पृथक परीक्षण किया था और उसे विदेशी मदिरा, व्हिस्की और बियर होना पाया था तथा उसने जप्त प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 भी प्रमाणित किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त शराब आर्टिकल 'ए' और जप्त चीट पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि इस तरह की शराब दुकानों पर आसानी से मिल जाती है।

10— इस प्रकार आरोपी से उक्त शराब जप्त करने के दोनों पंच साक्षीगण शरदसिंह और इकबाल ने आरोपी को पहचानने तथा उनके सामने आरोपी से कोई भी शराब जप्त करने से इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। यहां तक कि श्यामलाल यादव (अ.सा.3) ने अपने साथ गये जप्ती की कार्यवाही के दौरान साथ में गये शेष पुलिस कर्मों के कथन लेखबद्ध नहीं किये और अभियोजन की ओर से उन्हें साक्षी के रूप में उपस्थित भी नहीं रखा गया था। ऐसी स्थिति में जप्ती कर्ता पुलिस अधिकारी एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में उक्त विदेशी मदिरा रखी थी अथवा उनका विक्रय किया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन का मामला शंकास्पद प्रतीत होता है तथा आरोपी के विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 36 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त बागसिंह पिता मानसिंह दरबार, उम्र 52 वर्ष, निवासी छोट्टा

बड़दा रोड़ अंजड़, थाना अंजड़ को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 36 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

12— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए

14— प्रकरण में जप्तशुदा 10 बीयर किंग फिशर, 10 बीयर 5000 हैवर्ड्स, 10 क्वाटर आई.बी., 10 क्वाटर व्हाइट चीफ, 10 क्वाटर बाम्बे व्हिस्की, मूल्यहीन होने से, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार नष्ट हरे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.